

## बिहार में कृषि, कृषि विपणन एवं भंडारण की वर्तमान दशा

मनोज कुमार

शोधार्थी, वाणिज्य विभाग

ल. न. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

### सारांश (Abstract)

बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ लगभग 76 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया—326.62 लाख मीट्रिक टन। मखाना और लीची में देश का नेतृत्व, मक्का में दूसरे स्थान और चावल-गेहूं में क्रमशः पाँचवें-छठे स्थान पर पहुँचकर बिहार ने अपनी कृषि क्षमता को साबित किया है। कुल बुआई क्षेत्र 82.07 लाख हेक्टेयर और शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.12 लाख हेक्टेयर है, जबकि फसल घनत्व 1.52 तक पहुँच गया है। परंतु छोटी-खंडित जोतें (91 प्रतिशत सीमांत किसान), उत्तर बिहार की बाढ़, दक्षिण की सूखा समस्या, अपर्याप्त सिंचाई और यंत्रीकरण अभी भी चुनौतियाँ हैं। कृषि विपणन की दशा मिश्रित रही है। 2006 में APMC अधिनियम निरस्त होने के बाद बिहार कृषि उत्पाद विपणन एवं विकास समिति (BAVAS) के तहत 53 कृषि उपज बाजार प्रांगण कार्यरत हैं। इनमें से 22 को 'कृषि सुपर बाजार' के रूप में आधुनिकीकरण किया जा रहा है। e-NAM से मात्र 20 मंडियाँ जुड़ी हैं, जिससे किसानों को राष्ट्रीय बाजार से सीधा जुड़ाव मिलने लगा है, पर बिचौलिए अभी भी प्रभावी हैं। परिणामस्वरूप किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

भंडारण व्यवस्था में सुधार की दिशा साफ दिख रही है। 'विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना' के तहत 36 PACS को मंजूरी मिल चुकी है और राज्य योजना से 17.47 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम तैयार हो चुके हैं। फिर भी ठंडे भंडारण की कमी के कारण फल-सब्जियों में 20-30 प्रतिशत तक पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान होता है। चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28), कृषि इनपुट अनुदान, जैविक खेती और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाएँ किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में सकारात्मक कदम हैं। कुल मिलाकर बिहार की कृषि उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रही है, पर विपणन और भंडारण की मजबूत बुनियाद बनाए बिना यह प्रगति स्थायी नहीं हो सकती।

**मुख्य शब्द :** अनाज भंडारणयंत्रीकरण, विपणन, विविधीकरण, रोडमैप, इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्यान्न ।

### 1. परिचय (Introduction)

बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ कृषि ही है। राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 76 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और लगभग इतनी ही संख्या कृषि तथा इससे जुड़े व्यवसायों पर आश्रित है। GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 18-20 प्रतिशत है, पर रोजगार में इसका हिस्सा 54 प्रतिशत से अधिक है। यह असंतुलन दर्शाता है कि कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि सामाजिक स्थिरता का आधार भी है। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 326.62 लाख मीट्रिक टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँचकर बिहार ने पिछले दो दशकों में तीन गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है। मखाना, लीची, मक्का, शहद और सब्जियों में राज्य की विशेष पहचान बनी है। फिर भी वर्तमान दशा चुनौतियों से भरी हुई है। 91 प्रतिशत किसान सीमांत श्रेणी के हैं, जिनकी जोतें छोटी और बिखरी हुई हैं। उत्तर बिहार में हर वर्ष बाढ़ फसलों को नुकसान पहुँचाती है, जबकि दक्षिण में सिंचाई की कमी सूखे का कारण बनती है। यंत्रिकरण कम, मिट्टी की उर्वरता घट रही है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इनके साथ-साथ कृषि विपणन की पारंपरिक व्यवस्था भी पुरानी पड़ चुकी है। APMC अधिनियम के निरस्त होने के बाद बाजार प्रांगणों की संख्या सीमित है और बिचौलियों का दबदबा अभी भी बना हुआ है। परिणामस्वरूप किसान अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं पा पाते।

भंडारण सुविधाएँ और भी कमजोर कड़ी हैं। ठंडे भंडारण की अपर्याप्तता के कारण फल-सब्जियों में भारी नुकसान होता है। हालाँकि हाल के वर्षों में 'विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना' और राज्य योजना के तहत सैकड़ों नए गोदाम बनाए जा रहे हैं, फिर भी वास्तविक जरूरत से बहुत कम क्षमता उपलब्ध है। इन चुनौतियों के बीच सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023-28, कृषि एकसीलेंस मिशन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और किसान सम्मान राशि बढ़ाने जैसी पहलें शुरू की हैं। इन प्रयासों से कृषि को न केवल उत्पादन बल्कि मूल्य-संवर्धन, बेहतर विपणन और आधुनिक भंडारण की दिशा में ले जाने का अवसर मिला है। इस शोध पत्र में बिहार की कृषि, विपणन और भंडारण की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा, ताकि सकारात्मक पहलुओं को मजबूत किया जा सके और कमियों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

## **2. बिहार में कृषि की वर्तमान स्थिति**

### **2.1 भूमि उपयोग एवं फसल पैटर्न**

बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 54.12 लाख हेक्टेयर (लगभग 58 प्रतिशत) शुद्ध बुआई क्षेत्र है। सकल बुआई क्षेत्र 82.07 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जिससे फसल घनत्व 1.52 हो गया है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि राज्य की भूमि का अधिकतम

उपयोग हो रहा है, पर छोटी-खंडित जोतें (91 प्रतिशत सीमांत किसान) और उत्तर बिहार की बाढ़-प्रवणता भूमि उपयोग को चुनौतीपूर्ण बनाती है। दक्षिण बिहार में सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई की कमी के कारण कुछ भूमि बंजर या एक फसल वाली रह जाती है। फसल पैटर्न अभी भी पारंपरिक है। खरीफ में चावल और मक्का प्रमुख हैं, जबकि रबी में गेहूँ सबसे अधिक बोया जाता है। मक्का का उत्पादन पिछले तीन वर्षों में 65 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। खाद्यान्नों का हिस्सा 95 प्रतिशत से ऊपर है, जिसमें अनाज 89 प्रतिशत और दालें मात्र 6 प्रतिशत हैं। गन्ना, तिलहन और जूट जैसी नकदी फसलें सीमित क्षेत्रों (बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया) तक ही सीमित हैं।

यह पैटर्न किसानों को खाद्य सुरक्षा तो देता है, पर विविधीकरण की कमी से मिट्टी की उर्वरता घट रही है और आय में स्थिरता नहीं आ पा रही। चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत जैविक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर इस स्थिति में सुधार की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि छोटे किसान भी बेहतर आय और स्थायी उत्पादन सुनिश्चित कर सकें।

**तालिका 1: भूमि उपयोग (2025-26)**

क्र० सं०	भूमि उपयोग की श्रेणी	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत (%)
1	कुल भौगोलिक क्षेत्र	93.60	100.00
2	वन क्षेत्र	6.80	7.26
3	गैर-कृषि उपयोग (भवन, सड़क आदि)	10.85	11.59
4	बंजर एवं अनुपजाऊ भूमि	4.35	4.65
5	स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि	0.18	0.19
6	विविध वृक्ष एवं झाड़ियाँ	2.65	2.83
7	कृषि योग्य बंजर भूमि	1.45	1.55
8	अन्य परती भूमि	3.95	4.22
9	वर्तमान परती भूमि	8.98	9.59

10	शुद्ध बुआई क्षेत्र (Net Sown Area)	54.12	57.82
	सकल बुआई क्षेत्र (Gross Sown Area)	82.07	—
	फसल घनत्व (Cropping Intensity)	1.52	—

(स्रोत: बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26)

## 2.2 प्रमुख फसलों का उत्पादन (2024-25 अंतिम अनुमान)

### तालिका 2: प्रमुख फसलों का उत्पादन (लाख टन में)

फसल	उत्पादन (लाख टन)	टिप्पणी
अनाज (Cereals)	243.91	धान, गेहूँ, मक्का प्रमुख
गेहूँ	78.27	रबी फसल
मक्का	66.03	65% वृद्धि पिछले 3 वर्षों में
धान	99.3 (लगभग)	क्षेत्रफल में कुछ कमी
गन्ना	121.50	व्यावसायिक फसल
दालें	3.92	कम उत्पादकता
तिलहन	1.24	न्यूनतम

(स्रोत: बिहार ई-स्टैटिस्टिक्स डैशबोर्ड, 2024-25)

## 3. समस्याएँ

### • मध्यस्थ (बीओपारी) का प्रभुत्व

बिहार में कृषि विपणन व्यवस्था में मध्यस्थों, खासकर बीओपारी और आढ़तियों का गहरा प्रभुत्व एक बड़ी चुनौती है। 2006 में APMC अधिनियम के निरस्त होने के बावजूद राज्य में आधुनिक और पारदर्शी बाजारों का विकास सीमित रहा। अधिकांश छोटे-सीमांत किसान अपनी उपज गांव के स्तर पर या खेत पर ही इन मध्यस्थों को बेच देते हैं। लंबी मध्यस्थ श्रृंखला, तत्काल नकदी की

आवश्यकता और परिवहन की कमी के कारण किसान उचित मोल-भाव किए बिना अपनी मेहनत की उपज सस्ते दामों पर बेचने को विवश हो जाते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में 30-40 प्रतिशत कम कीमत प्राप्त होती है। यह स्थिति न केवल किसानों की आय को प्रभावित करती है बल्कि कृषि को आर्थिक रूप से कम आकर्षक भी बनाती है। कई मामलों में व्यापारी मिली-भगत से दाम तय करते हैं जिससे किसान और अधिक नुकसान उठाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO), प्रत्यक्ष खरीदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसान सीधे उपभोक्ता या बड़े खरीदारों तक अपनी उपज पहुँचा सकें।

- **ग्रामीण हाटों की कमजोर बुनियाद**

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक हाटें किसानों के लिए पारंपरिक विपणन केंद्र रही हैं, लेकिन इनकी बुनियादी सुविधाएं अत्यंत कमजोर हैं। अधिकांश हाटों में छाया, पक्की सड़क, स्टोरेज सुविधा, मानकीकृत तौल प्रणाली और स्वच्छता की कमी पाई जाती है। बाढ़ और वर्षा के मौसम में कई हाटें पूरी तरह से पहुंच से बाहर हो जाती हैं। छोटे किसानों के पास परिवहन साधन न होने के कारण वे अपनी उपज को दूर के मंडियों तक ले जाने में असमर्थ रहते हैं और स्थानीय हाटों पर ही निर्भर रहते हैं। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उपज की गुणवत्ता खराब होती है और किसानों को कम दाम मिलते हैं। इन हाटों में बाजार सूचना, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा भी नहीं होने से किसान सही मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। सरकार द्वारा ग्रामीण हाटों को GrAMs (Grameen Agricultural Markets) में विकसित करने की पहल की गई है, लेकिन क्रियान्वयन अभी भी धीमा है। इन हाटों को आधुनिक बनाना किसानों की स्थानीय स्तर पर बेहतर विपणन सुविधा प्रदान कर सकता है और उनकी आय में स्थिरता ला सकता है।

- **मूल्य अस्थिरता तथा इंटर-स्टेट व्यापार की कमी**

बिहार में कृषि उत्पादों की कीमतों में लगातार अस्थिरता एक गंभीर समस्या है। फसल की अधिक पैदावार के समय कीमतें बहुत गिर जाती हैं जबकि कमी के समय बढ़ जाती हैं, जिससे किसानों की आय अनिश्चित हो जाती है। राज्य में बाजार घनत्व कम होने, बाजार सूचना प्रणाली की कमी और सरकारी खरीद के सीमित दायरे के कारण यह अस्थिरता बढ़ती है। साथ ही अंतर-राज्यीय व्यापार की कमी भी एक बड़ा कारक है। बिहार के किसान अन्य राज्यों के बड़े बाजारों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर सीमित रह जाते हैं। परिवहन बाधाएं, लॉजिस्टिक्स की समस्या और राज्य-स्तरीय व्यापार प्रतिबंधों के कारण राष्ट्रीय बाजार से

जुड़ाव कमजोर है। परिणामस्वरूप किसान स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं और उचित मूल्य से वंचित होते हैं। मूल्य स्थिरता लाने और इंटर-स्टेट व्यापार को बढ़ावा देने के लिए e-NAM का प्रभावी विस्तार, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अत्यावश्यक है। इन सुधारों से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

**तालिका 3: e-NAM में बिहार की स्थिति (2025 तक)**

विवरण	संख्या/मात्रा
जुड़ी मंडियाँ	20
कुल बाजार यार्ड	53
FPO पंजीकृत	356+
कुल व्यापार मूल्य	~₹14.75 करोड़

(स्रोत: e-NAM डैशबोर्ड एवं PIB)

• **कृषि भंडारण की वर्तमान दशा**

बिहार में कृषि भंडारण की व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति के साथ बदल रही है, फिर भी यह अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रही है। राज्य की कुल भंडारण क्षमता धीरे-धीरे बढ़ रही है, परंतु छोटे-सीमांत किसानों की जरूरतों को पूरी तरह पूरा करने में अभी भी कमी बनी हुई है। वर्तमान में राज्य सरकार की योजना के तहत 7,286 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे 17.47 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 278 गोदामों को मंजूरी दी गई है और ₹180.20 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। इन गोदामों का उद्देश्य न केवल अनाजों को सुरक्षित रखना है, बल्कि किसानों को खेत के निकट ही भंडारण सुविधा उपलब्ध कराना भी है, ताकि फसल कटाई के बाद तत्काल बिक्री की मजबूरी न रहे। केंद्रीय योजना 'विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना' के अंतर्गत बिहार में 36 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) को मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं पर कुल ₹104.3 करोड़ का अनुमानित व्यय है और अब तक ₹71.63 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इन PACS स्तर पर बनने वाले गोदामों में न केवल भंडारण, बल्कि सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएँ भी शामिल हैं। यह योजना किसानों को मध्यस्थों से मुक्ति

दिलाने और स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हालाँकि अनाज भंडारण में सुधार दिख रहा है, फल-सब्जी जैसे नाशवान्ण उत्पादों के लिए ठंडे भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। राज्य में वर्तमान में लगभग 316 कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ उपलब्ध हैं, जिनकी कुल क्षमता करीब 14.8-15 लाख मीट्रिक टन है। फिर भी फल-सब्जियों में पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान 22-30 प्रतिशत तक पहुँचता है। मुख्य कारण अपर्याप्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेफ्रिजरेटेड वाहनों का अभाव है। लीची, मखाना, आलू, टमाटर और फूलगोभी जैसे प्रमुख उत्पादों में यह नुकसान किसानों की आय को सीधे प्रभावित करता है। सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि (AIF), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राज्य कृषि रोडमैप के तहत ठंडे भंडारण और सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड रूम्स को बढ़ावा देने की पहल की है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (BREDA) द्वारा सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी भी उपलब्ध है। इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में भंडारण सुविधाओं में और विस्तार की उम्मीद है। कुल मिलाकर, बिहार की कृषि भंडारण व्यवस्था उत्पादन वृद्धि के अनुरूप तेजी से मजबूत हो रही है, परंतु ठंडे भंडारण, आधुनिक प्रौद्योगिकी और किसानों तक पहुँच को और बेहतर बनाए बिना यह प्रगति स्थायी नहीं हो सकती। इन सुधारों से न केवल पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान कम होंगे, बल्कि किसानों की आय में स्थिरता भी आएगी और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और मजबूत बनेगी।

#### • आलू केंद्रित कोल्ड स्टोरेज

बिहार में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे लगभग पूरी तरह आलू भंडारण पर केंद्रित हैं। राज्य की कुल 316 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों में से 85 प्रतिशत से अधिक क्षमता आलू के लिए आरक्षित है, जबकि लीची, मखाना, टमाटर, फूलगोभी और अन्य नाशवान फल-सब्जियों के लिए उपयुक्त तापमान-आर्द्रता नियंत्रित सुविधाएँ बहुत कम हैं। आलू की फसल रबी सीजन में एक बार आती है और लंबे समय तक संरक्षित की जा सकती है, इसलिए उद्यमी भी इसी में निवेश करते हैं। परिणामस्वरूप अन्य फसलों की कटाई के बाद किसानों को या तो तुरंत बेचना पड़ता है या 20-30 प्रतिशत तक पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान उठाना पड़ता है। यह एकतरफा भंडारण व्यवस्था राज्य की विविध कृषि उत्पादकता के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। छोटे किसान जो लीची या सब्जी उत्पादन पर निर्भर हैं, उन्हें कोल्ड स्टोरेज का लाभ लगभग नहीं मिल पाता। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आधारित बहु-उद्देशीय कोल्ड चेंबर शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन

इनकी संख्या अभी बहुत कम है। बिना फसल-विशेष भंडारण सुविधाओं के विस्तार के बिहार की कृषि मूल्य-संवर्धन और आय वृद्धि की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती।

- **छोटे किसानों के लिए महंगा किराया**

बिहार के कोल्ड स्टोरेज में किराया दर छोटे और सीमांत किसानों के लिए अत्यधिक बोझिल है। वर्तमान में आलू भंडारण का किराया प्रति क्विंटल प्रति माह ₹40 से ₹60 तक है, जबकि बहु-उद्देशीय कोल्ड चेंबरों में यह और भी ऊँचा है। 91 प्रतिशत से अधिक किसान सीमांत श्रेणी के हैं जिनकी औसत जोत मात्र 0.5 हेक्टेयर है। उनके लिए एक मौसम की पूरी फसल को भंडारित करने का खर्च कई बार उनकी कुल आय का 15-20 प्रतिशत तक पहुँच जाता है। बिचौलिए और बड़े व्यापारी बड़े पैमाने पर भंडारण करके सस्ते दरों पर सौदा करते हैं, जबकि छोटा किसान या तो किराया नहीं दे पाता या महंगे दाम चुकाकर भी कम जगह पाता है। परिणामस्वरूप अधिकांश छोटे किसान फसल कटाई के तुरंत बाद ही मध्यस्थों को सस्ते भाव पर बेच देते हैं। सरकार द्वारा सब्सिडी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, पर इनका लाभ सीधे छोटे किसानों तक पहुँचने में देरी होती है। यदि कोल्ड स्टोरेज किराया को छोटे किसानों के अनुकूल नहीं बनाया गया तो भंडारण सुविधा का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा।

- **परिवहन दूरी बढ़ने से नुकसान**

बिहार में अधिकांश कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ जिला मुख्यालयों या बड़े बाजारों के आस-पास स्थित हैं, जबकि कृषि उत्पादन मुख्य रूप से दूर-दराज के गाँवों में होता है। औसतन किसान को अपनी उपज को कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचाने के लिए 40-80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रेफ्रिजरेटेड वाहनों की कमी, खराब ग्रामीण सड़कें और मानसून में बाढ़ के कारण परिवहन के दौरान ही 10-15 प्रतिशत नुकसान हो जाता है। लीची और टमाटर जैसी नाजुक फसलों के मामले में यह नुकसान 25 प्रतिशत तक पहुँच जाता है। छोटे किसान के पास अपना वाहन नहीं होता, इसलिए वे स्थानीय ट्रक या ठेले पर निर्भर रहते हैं जिनमें तापमान नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं होती। इससे न केवल गुणवत्ता गिरती है बल्कि बाजार में बिक्री मूल्य भी कम हो जाता है। परिवहन दूरी और लागत बढ़ने से किसान को कोल्ड स्टोरेज का लाभ उठाने का प्रोत्साहन ही कम हो जाता है। बेहतर कनेक्टिविटी, ग्रामीण स्तर पर छोटे-छोटे कोल्ड चेंबर और रेफ्रिजरेटेड वाहन सब्सिडी इस समस्या को हल करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

#### **4. सरकारी योजनाएँ एवं पहलें**

बिहार सरकार ने कृषि, विपणन और भंडारण क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन पहलों का केंद्र बिंदु छोटे-सीमांत किसानों की आय बढ़ाना, पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान कम करना और बाजार से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित करना है। सबसे महत्वपूर्ण कदम **चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28)** है, जिसके तहत जैविक खेती, फसल विविधीकरण, यंत्रीकरण और मूल्य-संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया है। इस रोडमैप के अंतर्गत कृषि इनपुट अनुदान, बीज वितरण और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। भंडारण क्षेत्र में **‘विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना’** के तहत 36 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) को मंजूरी मिल चुकी है। कुल अनुमानित लागत ₹104.3 करोड़ है, जिसमें AMI योजना के तहत 33 प्रतिशत सब्सिडी और AIF के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। राज्य योजना के तहत अब तक 7,286 गोदाम बन चुके हैं, जिनकी क्षमता 17.47 लाख मीट्रिक टन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 278 अतिरिक्त गोदामों के लिए ₹180.20 करोड़ जारी किए गए हैं। इन गोदामों में सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे किसान मध्यस्थों पर निर्भरता कम कर सकेंगे।

कृषि विपणन को मजबूत करने के लिए **e-NAM** से 20 मंडियाँ जुड़ी हैं और BAVAS के अंतर्गत 53 कृषि उपज बाजार प्रांगण कार्यरत हैं। इनमें से 22 को ‘कृषि सुपर बाजार’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण हाटों को GrAMs के रूप में आधुनिक बनाने की पहल चल रही है। हाल ही में फल-सब्जी उत्पादकों के लिए प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग्स और फ्रूट ट्रेप बैग्स पर 50-80 प्रतिशत सब्सिडी देने वाली ‘स्पेशल इंटरवेंशन स्कीम’ शुरू की गई है, जिससे परिवहन और भंडारण के दौरान नुकसान कम होगा। **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)**, कृषि अवसंरचना निधि (AIF) और बिहार राज्य फसल सहायता योजना के माध्यम से किसानों को बीमा, इनपुट सब्सिडी और आपदा राहत भी उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि किसान की मेहनत को उचित मूल्य दिलाना और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना भी है। इन प्रयासों से बिहार की कृषि धीरे-धीरे आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बन रही है, हालांकि क्रियान्वयन की गति और छोटे किसानों तक लाभ पहुँचाने में और सुधार की गुंजाइश है।

## **5. चुनौतियाँ एवं सुझाव**

### **प्रमुख चुनौतियाँ**

बिहार की कृषि, विपणन और भंडारण व्यवस्था में प्रगति के बावजूद कई गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं जो छोटे-सीमांत किसानों की आय और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं।

सबसे पहली चुनौती भूमि जोतों का छोटा और खंडित होना है। राज्य में 91 प्रतिशत किसान सीमांत श्रेणी के हैं जिनकी औसत जोत मात्र 0.5 हेक्टेयर है। इससे यंत्रीकरण, आधुनिक तकनीक और विविधीकरण मुश्किल हो जाता है। उत्तर बिहार में हर वर्ष बाढ़ फसलों को भारी नुकसान पहुँचाती है जबकि दक्षिण में सिंचाई की कमी सूखे का कारण बनती है। कुल सिंचित क्षेत्र अभी भी अपर्याप्त है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अनिश्चितता बढ़ गई है। कृषि विपणन में मध्यस्थों (बीओपारी) का प्रभुत्व सबसे बड़ी समस्या है। किसानों को बाजार मूल्य से 30-40 प्रतिशत कम दाम मिलते हैं क्योंकि वे तत्काल नकदी की मजबूरी में स्थानीय स्तर पर ही उपज बेच देते हैं। ग्रामीण हाटों की बुनियादी सुविधाएँ कमजोर हैं—पक्की सड़क, छाया, ग्रेडिंग और स्टोरेज की कमी के कारण उपज की गुणवत्ता खराब हो जाती है। मूल्य अस्थिरता और अंतर-राज्यीय व्यापार की कमी भी किसानों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने में बाधा डालती है। e-NAM से जुड़ी मंडियों की संख्या अभी बहुत कम है।

भंडारण क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती आलू-केंद्रित कोल्ड स्टोरेज है। राज्य की 85 प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज क्षमता केवल आलू के लिए है जबकि लीची, मखाना, टमाटर और अन्य नाशवान फसलों के लिए उपयुक्त सुविधाएँ नगण्य हैं। फल-सब्जियों में 22-30 प्रतिशत पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान होता है। छोटे किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का किराया महंगा है जो उनकी आय का 15-20 प्रतिशत तक खर्च कर देता है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज से दूर-दराज के गाँवों तक की परिवहन दूरी (40-80 किलोमीटर) और रेफ्रिजरेटेड वाहनों की कमी के कारण अतिरिक्त 10-15 प्रतिशत नुकसान हो जाता है। इन चुनौतियों के कारण उत्पादन में वृद्धि के बावजूद किसानों की आय स्थिर नहीं हो पा रही और कृषि क्षेत्र आर्थिक रूप से कम आकर्षक बना हुआ है।

### **सुझाव**

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए व्यावहारिक और बहुआयामी सुझाव अपनाए जाने चाहिए। सबसे पहले भूमि जोतों के छोटे आकार को ध्यान में रखते हुए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPOs) को मजबूत किया जाए। FPOs के माध्यम से सामूहिक खेती, यंत्रीकरण और सामूहिक विपणन को बढ़ावा दिया जाए ताकि छोटे किसान भी आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। उत्तर में बाढ़ नियंत्रण और दक्षिण में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। कृषि विपणन को पारदर्शी बनाने के लिए e-NAM का विस्तार किया जाए और सभी 53 BAVAS मंडियों को इसके साथ जोड़ा जाए। ग्रामीण हाटों को GrAMs के रूप में पूरी तरह आधुनिक बनाया जाए जिसमें डिजिटल मूल्य सूचना, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और सीधे खरीदारों से जुड़ाव की सुविधा हो। मध्यस्थों को कम करने के

लिए किसान-उपभोक्ता सीधा लिंकेज मॉडल (जैसे फल-सब्जी क्लस्टर और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) को प्रोत्साहन दिया जाए। भंडारण क्षेत्र में बहु-उद्देशीय कोल्ड चेंबरों का विस्तार अत्यावश्यक है। PACS स्तर पर बन रहे गोदामों में लीची, मखाना और सब्जियों के लिए विशेष कम्पार्टमेंट बनाए जाएँ। छोटे किसानों के लिए किराया सब्सिडी को 50-70 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए और भंडारण पर 6 महीने तक की ब्याज-मुक्त ऋण सुविधा दी जाए। परिवहन दूरी कम करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में छोटे-छोटे हाइब्रिड सौर कोल्ड चेंबर स्थापित किए जाएँ और रेफ्रिजरेटेड वाहन खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए।

इसके साथ ही चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत फसल विविधीकरण, जैविक खेती और मूल्य-संवर्धन इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए। किसानों को बाजार बुद्धिमत्ता और डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाए। यदि इन सुझावों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू किया गया तो बिहार की कृषि न केवल उत्पादन में बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने और स्थायी विकास में भी देश का नेतृत्व कर सकेगी।

### **निष्कर्ष**

बिहार की कृषि, कृषि विपणन और भंडारण व्यवस्था वर्तमान में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल से गुजर रही है। राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की है—2024-25 में 326.62 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड स्तर, फसल घनत्व 1.52 और मखाना-लीची जैसे विशेष उत्पादों में देश का नेतृत्व। छोटे-सीमांत किसानों की मेहनत और सरकारी योजनाओं के संयुक्त प्रयास से कृषि क्षेत्र धीरे-धीरे मजबूत आधार पर खड़ा हो रहा है। फिर भी वास्तविक चुनौतियाँ कम नहीं हैं। 91 प्रतिशत सीमांत जोतें, बाढ़-सूखा की दोहरी मार, मध्यस्थों का प्रभुत्व, मूल्य अस्थिरता, आलू-केंद्रित कोल्ड स्टोरेज और अपर्याप्त परिवहन सुविधाएँ अभी भी किसानों की आय को सीमित रखती हैं। इनके कारण उत्पादन में वृद्धि के बावजूद पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान 20-30 प्रतिशत तक बना हुआ है और किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं पा पा रहे हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28), विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, e-NAM विस्तार, GrAMs और बहु-उद्देशीय कोल्ड चेंबर जैसी पहलें सही दिशा में उठाए गए साहसिक कदम हैं। इनसे न केवल भंडारण क्षमता बढ़ रही है बल्कि विपणन को पारदर्शी और किसान-अनुकूल बनाने का प्रयास भी हो रहा है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बिहार की कृषि अब मात्र खाद्य सुरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि का इंजन बनने की राह पर है। यदि FPOs को मजबूत किया जाए, बहु-उद्देशीय कोल्ड चेंबरों का त्वरित विस्तार हो, e-NAM को सभी मंडियों से जोड़ा जाए, छोटे

किसानों को किराया सब्सिडी और डिजिटल प्रशिक्षण मिले तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए तो राज्य न केवल किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल भी प्रस्तुत कर सकता है। बिहार की कृषि की यह यात्रा अब मात्र उत्पादन से आगे बढ़कर स्थायित्व, समावेशिता और लाभप्रदता की ओर बढ़ रही है। सही नीतिगत इच्छाशक्ति, समयबद्ध क्रियान्वयन और किसानों की भागीदारी से यह सपना शीघ्र ही साकार हो सकता है।

## संदर्भ (References).

1. Bihar's Government. (2026). Bihar Economic Assessment 2025-26 Bihar Government Finance Department
2. Bihar's Government (2025). Bihar Economic Report 2024-24 Government of Bihar Finance Department.
3. Bihar's Government. (2023). Fifth Agriculture Roadmap (2023-2028). Department of Agriculture, Government of Bihar.
4. Agriculture Department of Bihar. (2025). Progress report for 2024-25. Bihar's Government. The Economic Survey Report that support keeping up and upgrading the giving help and advancement of three million farm families in Bihar occupies this site.
5. Press News Bureau March 25, 2026. Bihar's plan for grain storage in cooperative sector is biggest. The Union Government's Ministry of Cooperation. Presumably – <https://pib.gov.in>.
6. Department in Indian Government that deals with Agriculture and farmers. (2025). 2024-25 e-NAM annual report. Indian Government.
7. NABARD. (2025). Current position of farmer producer organizations (FPOs) in Bihar. Nationalised Bank for Agriculture and Rural Development.
8. Department of Cooperation. (2025). The world's largest grain storage plan in cooperative sector. Indian Government.
9. The Bihar Agricultural Marketing Board (2025). Yearly document on farming trade setup Bihar Administration.
10. Bihar government planning department (2025). Bihar e-statistics online dashboard 2024-25. Executive of Bihar.
11. Horticulture Bureau, Bihar. (2025). Report on status of cold storage and post-harvest management. Bihar's government.
12. Agriculture Development Fund (2025). Report on development of AIF Projects in Bihar. Agricultural and farmer welfare department, government of India.
13. NITI Aayog. (2024). Doubling Farmers' Income: Strategies for eastern India with special reference to Bihar. India's ruling authority.
14. Kumar, R. And Singh, A. (2025). Issues and Prospects of Agricultural Marketing in Bihar Indian Journal of Agricultural Marketing, 39(1), 45-62.
15. Bihar's Government. (2025). Report on Chief Minister Agriculture Irrigation Scheme and Infrastructure Development. Agriculture Department.